Reg. 2017/00010

FORM No. III

App A
Orim 9

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... सरकार बनाम वीरमाराम पुत्र तेजाराम जाट नि० छापा

किस्म मुकदमा धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट नं. 65/2017 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-6-2017	पटवारी हल्का असावरी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वीरमाराम ने मौजा छापा के खसरा नम्बर 08 रकबा 0.02 हे० मु. राज्य भूमि पर कास्त/बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य आर.एल.आर. एक्ट की धारा 91 का उल्लघंन है। अतः मामला दर्ज रजिस्टर होकर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 20.6.2017 को पेश हो। sd/- तहसीलदार, मूण्डवा	
20.6.2017	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल का नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ है तामिल मिसल हो। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 27-6-2017 को पेश हो। sd/-	वीरमाराम
27.06.17	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल वीरमाराम उपस्थित। गैर सायल ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच पटवारी से ली जावे एवं प्रार्थी को सबूत पेश करने हेतु समय दिया जावे। पत्रावली वास्ते तारीख 06.07.2017 को पेश हो। sd/- तहसीलदार, मूण्डवा	वीरमाराम
06.07.17	पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायल स्वयं उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पटवारी हल्का असावरी की रिपोर्ट पेश हुई जो शामिल मिसल की गई।	वीरमाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का असावरी ने भू0 अ0 नि0 रतना से सत्यापित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी भीमाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी घणा ने मौजा राजस्व ग्राम घणा के ख0 नं0 08 रकबा 0-02 बीघा किस्म भूमि गै0 मु0 रास्ता पर संवत 2074 में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया है नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात गैर सायल उपस्थित आया एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें गैर सायल भीमाराम की ओर से दिनांक 27-6-2017 को जवाब पेश किया जिसका संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है:-
प्रार्थी ने कथन किया कि ख0 न0 245 में अन्य खातेदार भी है उसका अकेले का कब्जा नहीं है साथ ही निवेदन किया कि इसे जवाब पेश करने का एक और अवसर दिया जावे साथ ही कहा कि ख0 न0 8 नक्शे में ख0 न0 10 के गलत दिखाया बताया है साथ ही कहा कि पटवारी ने रंजिश से मिलकर अतिक्रमण दर्ज किया है प्रार्थी ने पुनः दिनांक 6-7-2017 को एक और प्रार्थना पत्र पेश किया कि जिसमें संक्षेप में तथ्य यह है कि पूर्व के जवाब दिनांक 27-6-2017 के तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं लिखा कि सेटलमेंट अधिकारियों ने उनकी खातेदारी भूमि का रकबा कम कर दिया। साथ ही वर्णित किया कि पीढ़ियों से कब्जा है व नियमन हेतु भी निवेदन किया परन्तु नियमन नहीं किया अतः नियमन किया जावे।

गैरसायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की भू0 अ0 नि0 रतना से जांच करवाई गई भू0 अ0 नि0 रतना ने अपनी जांच में बताया कि पटवारी हल्का असावरी द्वारा ग्राम घणा के ख0 न0 8 रकबा 0/2 बिस्वा किस्म गै0 मु0 रास्ता पर दिनांक 1-6-2017 को धारा 91 की रिपोर्ट भीमाराम पुत्र तेजाराम के नाम जो कि गई जिसे भू0 अ0 नि0 द्वारा उसी दिन दिनांक 1-6-2017 को जांच कि गई जो दिनांक 1-6-17 को पेश कि गई अतिक्रमी द्वारा उक्त अतिक्रमण को अपना नहीं बताया गया है पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण कि जो रिपोर्ट कि गई। वह सही है उक्त अतिक्रमित रकबे को दिनांक 10-6-2017 को नायब तहसीलदार मू0 म0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भू० अ० नि० कनि० पटवारी हल्का आसापुरी मय जाप्ता के ख० नं० 8 गै० मु० रास्ता जो अतिक्रमी द्वारा बंद था जिसे सरपंच ग्राम पंचायत आसापुरी व ग्राम के मौजिज लोगों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई J.C.B से मौके पर जो रास्ता बंद था उस रास्ते से सम्पूर्ण अतिक्रमण हटा दिया गया भू० अ० नि० कनि० व पटवारी हल्का आसापुरी मौके पर जाकर देखा की दिनांक 10.6.2017 को जो अतिक्रमण हटाया गया था उसे भीरमाराम द्वारा पुनः अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर दिया गया है भू० अ० नि० कनि० द्वारा की गई जांच रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। गैरसायल द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया केवल कार्मिकों द्वारा की गई रिपोर्ट व भू प्रबंध को ही गलत ठहराने का प्रयास किया गया है। भू० प्रबंध हुए इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात भी किसी भी न्यायालय में प्रार्थी द्वारा चारा जोही नहीं की गई है। ग्राम धापा का ख० नं० 8 वक्त बंदोबस्त से गै० मु० रास्ता इन्द्राज चलता आ रहा है साथ ही पुनः जांच में भी भू० अ० नि० कनि० ने गैरसायल द्वारा ही अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथ्यों से परे होने से अस्वीकार किया जाता है अतः उपलब्ध रेकर्ड अनुसार पटवारी व भू० अ० नि० की रिपोर्ट व भू० अ० नि० कनि० की पुनः जांच रिपोर्ट अनुसार गैरसायल का ग्राम धापा के ख० नं० 8 गै० मु० रास्ता पर अवैध अतिक्रमण है। अतः गैरसायल को राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं उपरोक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं। भूमि अतिक्रमण करने के फलस्वरूप लगान 0.07 प्रतिवर्ष का 50 गुणा कुल 4/- रुपये बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है पटवारी हल्का व भू० अ० नि० अतिक्रमी को अतिक्रमित स्थल से भौतिक रूप से बेदखली करके बेदखली रिपोर्ट पेश करें साथ ही जुर्माना वसूल कर पालना रिपोर्ट पेश करें नायब तहसील राजस्व लेखाकार (टी-आर-ए) व पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करें। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर नम्बर से कम हो (हस्ताक्षर) तहसीलदार, मूण्डवा	

दर्ज रजिस्टर सं० ... 2017-18 के पृष्ठ 50 क्रम सं० 1 पर
जुर्माना 4/- फ०नि० —
... जुर्माना — दर्ज किया
(हस्ताक्षर)